

17-11-20

उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय
कार्य से बाहर हैं। अवकाश पर है / पदरिक्त है।
अतः पत्रावली दिनांक 24-11-20 को पेश हो।

/

रीडर

उपखण्ड अधिकारी माण्डल

24-11-20

उभयपक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी मुनाब कार्य में बाधित
हैं। पत्रावली दिनांक... 15-12-20... को पेश हो।

/

रीडर

15-12-20

उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय-
कार्य से बाहर हैं। अवकाश पर है / पदरिक्त है।
अतः पत्रावली दिनांक 24-12-20 को पेश हो।

/

रीडर

उपखण्ड अधिकारी माण्डल

24-12-20

पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थीगण उपस्थित,
अप्रार्थीगण के सम्मन खाद तामिल होकर प्राप्त
हुए जिसे आंगपठ किये गये। पखार हल्का
पखारी द्वारा मौफा रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे आंग
पठ की गई, अप्रार्थीगण को कितनी मर्तबा आवाजे
दिलायी जाने उपरान्त भी उपस्थित नहीं, उनके
विक्रड एक तरफा कार्यवाही किये जाने का
आदेश दिया जाता है वकील प्रार्थीगण का
मार्तजा पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय पत्र
सूचे लिखा जाकर आंगपठ किया गया। पत्रावली
कैसल शुमार होकर अन्तर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा



को. को.
में जा. में

राजस्थान - सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाड़ा

अधिकारी-महीपाल सिंह, आर.ए.एस.

संख्या - 119/20 प्रा.पञ

श्री मंत्र लाल श. श्री रामलाल ब्राह्मण निवासी- कवराडिया त. माण्डल [कवरा]

-प्रार्थी

बनाम

श्री नारायण लाल श. नाथू ब्राह्मण निवासी- कवराडिया त. माण्डल [कवरा]
(सहायक प्रा.पञ संलग्न)

-विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक:- 24.12.20

::आदेश::

की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन कि ग्राम कवराडिया पटवार हल्का कवराडिया तहसील माण्डल में उसके /संयुक्त खाते की आराजी नं. 1183/2, 1183/3, 1184 कुल कित. 03 रकबा 04 03 बिस्वा स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते में की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 17-07-20 को पंजीबद्ध किया जाकर को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काशत काशत की होने से गढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी अभिलेख में किसी प्रकार की कुरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकर निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम कवराडिया पटवार हल्का कवराडिया तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की नी नं. 1183/2, 1183/3, 1184 कुल कित. 03 रकबा 04 03 बिस्वा भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक आलगास 300/- /- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा । कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजुदगी में मौके व कब्जे की यथारिथति को बनाये हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नहीं की

लेपि:- तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार गढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल
जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल
जिला भीलवाड़ा